संख्या-48।रासनि/23-1-17-68रासनि/17

प्रेषक,

सदाकान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद गोरखपुर में एन0एच0-29 के छूटे शहरी भाग(नौसड़ चौराहे से बाघगाडा तक) के 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता(नियोजन वर्ग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1517नि0/135-01नि0/2016, दिनांक 28.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में एन0एच0-29 के छूटे शहरी भाग(नौसड़ चौराहे से बाघगाडा तक) के 04 लेने में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु कुल लागत रू0 24,93,60,000/-(रूपये चौबीस करोड़ तिरानबे लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से रू0 2,49,36,000/-(रूपये दो करोड़ उन्चास लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	एन0एच0-29 के छूटे शहरी भाग(नौसड़ चौराहे से बाघगाडा तक) के 04 लेने में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अ0जि0मा0)	3.25	2493.60	249.36

(1) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रायधानों को यथावत मानते हुए लागत को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत दरों कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, मार्ग की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर शासन के माध्यम से विभागीय व्यय समिति का 03 माह के अंदर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रायोजना के निर्माण हेतु भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया गया जाय।

(5) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(6) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Drive:\ss\sm\pa\Budget 5054\N 2016-17

Scanned by CamScanner

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी।
(7) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-1280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-1280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-
23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-
टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप
उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जार्पो में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट
मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन
सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(10) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही
स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत की
है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(11) लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर औचित्य का परीक्षण किया
गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(12) उक्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो
सके । प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी
प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(13) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(14) कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके
ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त
किया जाना आवश्यक होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों
का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-
8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट
करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत
परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/
सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(सदाकान्त)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-481रासनि(1)/23-1-17, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., G...AKHPUR

D:\waseem\pks c\budget 5054\2016-17

Scanned by CamScanner

सं0- 10/2016/1158/23-12-16-107-जी0आई0/16

प्रेषक,

काशी प्रसाद तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 33 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-फा0स0 एन0एच0-28014/02/2015/यू0पी0/सी0आर0एफ0/एन0एच0-2, दिनांक 13.05.2016 द्वारा 38 मार्गों हेतु प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत 33 मार्गों (कुल लम्बाई 723.245 किमी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल रू0 1429.96 करोड़ (रूपये चौदह अरब उनतीस करोड़ छियानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में तालिका के कालम-7 में अंकित परियोजनावार कुल रू0 1858.96 लाख (रूपये अठारह करोड़ अठावन लाख छियानवे हज़ार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि0मी0)	लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बरेली/ नि0ख0 (भवन)	नवाबगंज दलेलनगर बहरजागीर मार्ग के किमी0 1-16 तक (कुल 16.00 किमी0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	16.00	2782.00	36.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

क्रम सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि0मी0)	लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
2	सुल्तानपुर प्रा0ख0	इनायत पौंपा (फुलौना) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	12.20	1047.00	13.61
3	सुल्तानपुर प्रा0ख0	विरसिंहपुर से हालापुर (अहदा-कालीगंज- विरसिंहपुर-हालापुर) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	17.05	1890.00	24.57
4	सुल्तानपुर प्रा0ख0	केधरा राजा उमरी तातो मुरैनी हाजीगंज (अ0जि0मा0) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	15.50	2360.00	30.68
5	अलीगढ़/ प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अलीगढ़	अलीगढ़ रामघाट मार्ग से गांवखेड़ा गोधा सी0टी0के0 मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकण का कार्य।	अ0जि0मा0	15.30	2944.00	38.27
6	कानपुर नगर/ नि0ख0-2	विधनू से किसान नगर नहर की पटरी मार्ग की सतह सुधार हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	17.60	2467.00	32.07
7	कन्नौज/ नि0ख0-1	छिबरामऊ-करवा मार्ग (अ0जि0मा0) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	9.80	2126.00	27.64
8	ललितपुर/ नि0ख0	जखौरा-राजघाट मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	19.00	3531.00	45.90
9	ललितपुर/ नि0ख0	ललितपुर-राजघाट मार्ग (ओ0डी0आर0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	21.56	3782.00	49.17
10	मिर्जापुर/ प्रा0ख0	चील्ह गोपीगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण।	अ0जि0मा0	10.40	1431.00	18.60
11	गोरखपुर/ नि0ख0 (भवन)	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज।	अ0जि0मा0	19.485	3678.00	47.81
12	गोरखपुर/ नि0ख0 (भवन)	सहजनवाँ-बखिरा मार्ग	अ0जि0मा0	23.20	6002.00	78.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

क्रम सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि0मी0)	लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
13	गोरखपुर/ नि0ख0 (भवन)	पीपीगंज-जसवल- सिसई-सहजनवाँ मार्ग।	अ0जि0मा0	20.20	2836.00	36.87
14	कौशाम्बी- प्रा0ख0	एन0एच0-2 के चै0-161.800 से 180.00 किमी0 के आन्तरिक भाग का 4 लेन चौड़ीकरण (कोखराज से मानौरी तक)	अ0जि0मा0	18.20	12719.00	165.35
15	हाथरस/ प्रा0ख0	नगला भुस से नगला उम्मेदन तक सतह सुधार हेतु सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	10.635	2086.00	27.12
16	हाथरस/ प्रा0ख0	आगरा-जलेसर- सिकन्दराराऊ मार्ग (अ0जि0मार्ग) के चै0-किमी0 62.000 से किमी0 74.400 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	10.70	1806.00	23.487
17	वाराणसी/ प्रा0ख0	भोजूबीर-सिन्धौरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	21.20	4677.00	60.80
18	आगरा/प्रा0ख0	अछनेरा दीन दयाल धाम फरह रोड का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	20.925	4144.00	53.87
		किरावली अछनेरा किमी. 4.65 से 6.65				
		अछनेरा झुण्डाबाई किमी. 0.00 जब किमी. 1.70				
		अछनेरा फरह किमी. 0.00 से किमी.1.70 एवं किमी. 1.70 से किमी. 9.025				
		फरह अछनेरा किमी. 0.60 से किमी. 8.20				
		फरह सौंख किमी. 0.00 जब 0.60				
19	मऊ/ प्रा0ख0	मऊ मोहम्मद मार्ग यूसुफपुर किमी. 0.00 से किमी. 10.00 तक	प्र0जि0मा0	10.00	2470.00	32.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

क्रम सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि0मी0)	लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
20	सिद्धार्थनगर/ नि0ख0-1	बी0टी0आई0वी0 मार्ग से महाँवा-धोबहा-शाहपुर मार्ग (चै0-0.00 से 18.00 तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	अ0जि0मा0	18.00	2725.00	35.43
21	जौनपुर/ प्रा0ख0	जौनपुर-मल्हनी- खटहन मार्ग (चै0-0.00 से 27.150 किमी0 तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	27.15	3202.00	41.63
22	जौनपुर/ प्रा0ख0	कुण्डहा-सुजानगंज-मछलीशहर-मड़ियाहू-जलालपुर-केराकत-सुल्तानपुर एवं 88.00 से 97.00 तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	36.08	4598.00	59.77
23	आजमगढ़/ नि0ख0	जिवली-देवगांव-मेहनाजपुर-औड़ियार मार्ग (चै0-18.44 से 33.50 किमी0 तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	प्र0जि0मा0	15.06	1523.00	19.80
24	वाराणसी/ प्रा0ख0	बाबतपुर-चैबेपुर-भगतुआ-बलुआ-ब्रिज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	39.35	9328.00	121.26
25	चन्दौली/ नि0ख0	बबुरी-धरौली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	15.00	3460.00	44.98
26	चन्दौली/ प्रा0ख0	चहनिया-धानापुर- महुजी-जमनिया-मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	42.00	7659.00	99.57
27	इलाहाबाद/ नि0ख0-3	लालापुर-इमलिया-कंजासा-भीटा मार्ग को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	23.60	3266.00	42.46
28	बाँदा/ नि0ख0-2	पैलानी गलौली से बास मार्ग से चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	15.00	2752.00	35.78
29	महराजगंज /प्रा0ख0	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवां मार्ग (चै0-3.40 से 89.00 तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	प्र0जि0मा0 सं0-29	73.00	18989.00	246.86

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

क्रम सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि0मी0)	लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
30	अलीगढ़/ नि0ख0-1	अलीगढ़ गोण्डा मार्ग (अ0जि0मा0 सं0-28) के चै0-कि0मी0 0.00 से 16.200 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	16.20	2701.00	35.11
31	प्रतापगढ़/ प्रा0ख0	गाजी का बाग मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग (चै0-0.00 से 13.60 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	13.60	1797.00	23.36
32	इलाहाबाद/ प्रा0ख0	एस0एम0के0 मार्ग से लूतर खौर-भइया म्क्ष्मण का पुरा- मेजा-भटौती मार्ग (चै0-0.00 से 19.250 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	19.25	4454.00	57.90
33	प्रतापगढ़/ प्रा0ख0	देल्हूपुर-रानीगंज-पट्टी कोहडौर मार्ग (चै0-0.00 से 61.00 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	प्र0जि0मा0	61.00	11764.00	152.93
			योग	723.245	142996	1858.96

1. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

4. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य समय से पूरा हो यह भी सुनिश्चित करेंगे।

6. अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।'

7. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

8. उक्त कार्यो पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णतः प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

9. भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के फा0स0 एन0एच0-28014/02/2015/यू0पी0/सी0आर0एफ0/एन0एच0-2, दिनांक 13.05.2016 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

10. विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

11. प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (5) (ज) के प्राविधानुसार अवशेष धनराशि की आगामी किश्तों की स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजनापर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय मार्ग निधि के

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत निर्माण कार्य-0470-मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-1842/दस-2016, दिनांक 02 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(काशी प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

संख्या-10/2016/1158 (1)/23-12-2016तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार, परिवहन भवन-1, ससंद मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक- फा0स0 सं0-फा0स0 एन0एच0-28014/02/2015/यू0पी0/सी0आर0एफ0/एन0एच0-2,दिनांक 13.05.2016 के संदर्भ में।

4- क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार, कुर्सी रोड, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

9- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner

11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- वेब मास्टर/वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

EXECUTIVE ENGINEER
NIRMAN KHAND (BHAWAN)
P.W.D., GORAKHPUR

Scanned by CamScanner